रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102020-222312
CG-DL-E-08102020-222312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942
No. 3108] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942

गृह मंत्रालय

(संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3495(अ).—केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) आदेश, 2020 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे यह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. तत्काल प्रभाव से इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित विनियमों को, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, लागू रहेगा, अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलन और उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार ऐसा निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे ।

4. जहां इस आदेश में अपेक्षित है कि किसी विनियमन की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय अन्य शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं उस धारा या उसके भाग में आता है, निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर किया जाएगा ।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी राज्य विधि या किसी विनियमन का अनुकूलन करते हैं या उसका उपांतरण या निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके, जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि, जिसके अधीन या जिसके

अनुसार कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 26 जनवरी, 2020 के पहले सम्यक् रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम को या सम्यक् रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे ; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, उसी विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में वैसे ही प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो ।

6. (1) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विनियमन की किसी धारा या उपबंध का लोप या संशोधन या किसी विधि का निरसन—

(क) इस प्रकार विलोपित या संशोधित या निरसित किसी धारा या उपबंध या विनियमन या विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन को या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या हुई किसी बात को ;

(ख) इस प्रकार विलोपित या निरसित किसी ऐसी धारा या उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को ;

(ग) इस प्रकार विलोपित या निरसित किसी ऐसी धारा या उपबंध के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को ; या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और किसी ऐसे अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 या यह आदेश प्रवृत्त न हुआ हो ।

(2) उपपैरा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी विधि या विनियमन के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्ररूप, उपविधि या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाणपत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञप्ति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार भी है) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव राज्यक्षेत्र को वर्तमान में विस्तारित और लागू विधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या ली गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव राज्यक्षेत्र के लिए विस्तारित विधियों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा उसे अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है ।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

1. राज्य विधि

गोवा, दमण और दीव नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1969 का 7) [तत्कालीन दमण और दीप संघ राज्यक्षेत्र को यथा लागू]

पूर्णत: निरसित ।

*****

2. राष्ट्रपतीय विनियमन

(अ) गोवा, दमण और दीव पंचायत विनियमन, 1962

(1962 का 9)

पूर्णत: निरसित ।

*****

(आ) दादरा और नागर हवेली नगरपालिका परिषद् विनियमन, 2004

(2004 का 2)

1. मूल विनियमन के वृहत नाम के संक्षिप्त नाम की धारा 1 की उपधारा (2) में, धारा 2 के खंड (1) और खंड (55) में, धारा 5 की उपधारा (1) में, धारा 12 की उपधारा (1) में, धारा 78क की उपधारा (4) के खंड (क) में और उपधारा (5) में, धारा 139 में और विनियमन की अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 4 और अनुसूची 9 में "दादरा और नागर हवेली" के पश्चात् जहां-जहां वे आते हैं, "और दमण और दीव" अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. धारा 2- खंड (7) में, "हवेली" के पश्चात् "या यथास्थिति, दमण का कलक्टर या दीव का कलक्टर ;" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

3. धारा 4- धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,-

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के लिए नगरपालिका परिषद् का गठन ।

"4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव नगरपालिका क्षेत्र का गठन किया जाएगा, जो क्रमश: सिलवासा नगरपालिका परिषद्, दमण नगरपालिका परिषद् और दीव नगरपालिका परिषद् के रूप में जाना जाता है ।"।

4. धारा 5- उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा-

"(3) निर्वाचन आयोग ऐसे कारणों के लिए, जिसे उसके द्वारा जारी की गई अधिसूचना में आवश्यक संशोधनों द्वारा किसी निर्वाचन को पूर्ण करने के लिए समय के विस्तार को पर्याप्त समझता है, सक्षम होगा ।"।

5. धारा 17—उपधारा (1) के खंड (क) में, "1954" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा--

"या 20 दिसंबर, 1961 के पूर्व दमण और दीव के किसी न्यायालय द्वारा"।

6. धारा 27- उपधारा (2) में, "जुर्माना, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा" के स्थान पर, "ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक हो सकेगा" रखा जाएगा ।

7. धारा 28- उपधारा (2) में, "दो सौ पचास रुपए" के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ रुपए" रखा जाएगा ।

8. धारा 29- उपधारा (3) में, "दो सौ पचास रुपए" के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ रुपए" रखा जाएगा ।

9. धारा 30-"जुर्माना, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा" के स्थान पर, "ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक हो सकेगा" रखा जाएगा ।

10. धारा 33- उपधारा (1) में, "पांच सौ रुपए" के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" रखा जाएगा ।

11. धारा 34- उपधारा (1) में, "पांच सौ रुपए" के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" रखा जाएगा ।

12. नई धारा 43क- धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा—

अकल्पित परिस्थितियों में नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति ।

"43क. जहां अकल्पित परिस्थितियों, जैसे प्राकृतिक विपत्ति, बलवा या सांप्रदायिक उपद्रव के कारण धारा 43 में यथाउपबंधित नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन कराना संभव नहीं है, नगरपालिका की सभी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाएगी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त समय-समय पर आदेश द्वारा नियत किया जाए ।"।

13. धारा 58- "उपसभापति" के पश्चात् जहां–जहां वे आते हैं, "या पार्षद्" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

14. नई धारा 58क—धारा 58 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी—

सभापति और उप सभापति का निलंबन ।

"58क. (1) निदेशक, नगरपालिका प्रशासन ऐसे सभापति और उप सभापति को उसके पद से निलंबित कर सकेगा, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उसके द्वारा कारित किए गए किसी अभिकथित अपराध के संबंध में या इस विनियमन के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित की गई है या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन विचारण के दौरान कारागार में निरुद्ध किया गया है । 1988 का 49

(2) जहां सभापति या उप सभापति, उपधारा (1) के अधीन निलंबित किए गए हैं, कोई पार्षद ऐसी अवधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलंबन जारी रहता है, यथास्थिति, सभापति या उप सभापति के सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगरपालिका प्रशासन द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सरकार के समक्ष की जाएगी ।"।

15. धारा 78क—उपधारा (1) के परंतुक में, "दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियमन, 2012" के स्थान पर, "कोई अन्य अधिनियम" रखा जाएगा ।

16. धारा 155-"1971 या" के पश्चात् "राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) या" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

17. धारा 180- (i) उपधारा (2) में,-

(क) "विशेष आदेश" के पश्चात्, "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) परंतुक में,-

(अ) "परिषद् के" के पश्चात् "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(आ) "जो समय-समय पर विहित किया जाए, परिषद् के रूप में" के स्थान पर, "समय-समय पर जो विहित किया जाए" रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (3) में—

(क) आरंभिक भाग में, "असफल होता है" का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (1) में, "देता है" के स्थान पर "देने में असफल रहता है" रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (4) में,-

(क) आरंभिक भाग में, "और दस्तावेजों, मुख्य अधिकारी" के स्थान पर, "और दस्तावेजों, संबद्ध जिले के योजना और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से मुख्य अधिकारी" रखा जाएगा ;

(ख) खंड (ख) में, "इसके अधीन" के पश्चात् "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ;

(v) उपधारा (6) में, "इसके अधीन" के पश्चात् "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(vi) उपधारा (7) में,-

(क) "या उपधारा (5)" का लोप किया जाएगा ;

(ख) "एक वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" रखा जाएगा ;

(vii) उपधारा (8) के खंड (i) में, "या उपधारा (5) के अधीन परिषद्" का लोप किया जाएगा ;

(viii) उपधारा (11) में, "परिषद् या" का लोप किया जाएगा ;

(ix) उपधारा (12) में, "इस विनियमन के अधीन" के पश्चात् "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

18. धारा 181 और धारा 182 का लोप करें ।

19. धारा 183- (i) पार्श्व शीर्ष में, "और परिषद्" का लोप करें ;

(ii) उपधारा (3) के खंड (ख) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखा जाएगा ।

20. धारा 185- (i) उपधारा (2) में,-

(क) आरंभिक भाग में, "उपविधियां" के पश्चात् "या अन्य विधि द्वारा सरकार" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा—

"परंतु सरकार अनुज्ञा देने में एकरूपता लाने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई नियम या उपविधि बना सकेगी और भवन निर्माण संबंधी उपविधियों के रूप में परिषद् द्वारा उसे प्रयुक्त किया जा सकेगा ।";

(ii) उपधारा (4) में, "परिषद्" के स्थान पर, "नगरपालिका प्रशासन का निदेशक" रखा जाएगा ।

21. धारा 186- उपधारा (1) के परंतुक में, खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "तत्समय प्रवृत्त इस विनियमन के अधीन या" के पश्चात् जहां-जहां वे आते हैं, "तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

22. धारा 192- "परिषद्" के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "मुख्य अधिकारी" रखा जाएगा ।

23. नई धारा 288क- धारा 288 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा—

सभापति या उप सभापति या पार्षद के विरुद्ध अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी ।

"288क. कोई भी न्यायालय मामलों में इस निमित्त सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जहां कोई व्यक्ति नगरपालिका का सभापति या उप सभापति या पार्षद है या रह चुका है, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित उसके द्वारा कारित किए गए किसी अभिकथित अपराध का अभियुक्त है ।"।

24. धारा 309- उपधारा (4) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखा जाएगा ।

25. धारा 319- उपधारा (1) के खंड (घ) में "1965" के पश्चात् "और गोवा, दमण तथा दीव ग्राम पंचायत विनियमन, 1962 (1961 का 9)" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

26. धारा 322- "पंचायत" के पश्चात् जहां-जहां वे आते हैं "या परिषद्" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

27. धारा 323- (क) "पंचायत" के पश्चात् जहां-जहां वे आते हैं "या परिषद्" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (ग) में, "2012" के पश्चात् "या दमण और दीव पंचायत विनियमन, 2012 (2012 का 5)" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

28. धारा 324 – "पंचायत", शब्द के पश्चात्, जहां कहीं वह आता है, "या परिषद्" शब्द रखें ।

29. धारा 325 – "पंचायत", शब्द के पश्चात्, जहां कहीं वह आता है, "या परिषद्" शब्द रखें ।

****

(ग) दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012

(2012 का 4)

पूर्णत: निरसित ।

****

(घ) दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012

(2012 का 5)

1. मूल विनियम के दीर्घ शीर्ष के लघु शीर्ष में, धारा 1 की उपधारा (1) और (2), धारा 2 के खंड (क), (ख), (छ), (थ), (ब), (य) और (यग), धारा 68 की उपधारा (3), धारा 99 की उपधारा (1), धारा 100 और पांचवीं अनुसूची में, "दादरा और नागर हवेली", शब्दों के पश्चात्, जहां कहीं वे आते हैं, "और दमण और दीव", शब्द अन्त:स्थापित करें ।

2. धारा 14 – धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

निरर्हता ।

"14. (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए या उस रुप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि, -

(क) इस विनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् –

(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन अपराध का सिद्धदोष हुआ है और पांच वर्ष की अवधि या ऐसी न्यून अवधि जो प्रशासक किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, उसकी दोषसिद्धि से व्यतीत हो चुकी है; या

(ii) किसी अन्य अपराध का सिद्धदोष हुआ है तथा छह मास से अन्यून के लिए कारावास से दंडित हुआ है और पांच वर्ष की अवधि या ऐसी न्यून अवधि जो प्रशासक किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, उसकी दोषसिद्धि से व्यतीत हो चुकी है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित घोषित किसी गया है; या

(ग) उसे दिवालिया या शोधन अक्षम घोषित किया गया है और उसकी निर्मुक्ति प्राप्त नहीं की है ; या 1955 का 22

(घ) उसे इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी ग्राम पंचायत में उसके द्वारा धारित पद से या इस विनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी ग्राम पंचायत से किसी पद से हटाया गया है तथा ऐसे हटाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है, यदि से राजपत्र में अधिसूचित प्रशासक के आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाए जाने के कारण उद्भूत निरर्हता से उन्मुक्त नहीं किया गया है; या

(ङ) उसे इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन पद धारण करने से निरर्हित कर दिया गया है और वह अवधि जिसके लिए उसे निरर्हित किया गया था, व्यतीत नहीं हुई है; या

(च) इस विनियम के अधीन यथाविहित ऐसे पद या स्थान से भिन्न, कोई वैतनिक पद या पंचायत के उपहार या निपटान में लाभ का कोई पद धारण करता है; या

(छ) उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत द्वारा या उसके लिए या पंचायत के साथ या उसके अधीन अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या नियोजन में किसी गए किसी कार्य में कोई अंश या हित है; या

(ज) उसका किसी पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को दिए गए अग्रिम या लिए गए उधार के धन के ऋण के किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित है; या

(झ) उसे इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन विशेष नोटिस तामील किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर, पंचायत को या किसी अधीनस्थ पंचायत को शोध किसी प्रकार के बकाया के संदाय में या इस विनियम के अधीन उससे वसूलनीय कोई राशि के संदाय में असफल रहता है; या

(ञ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है; या

(ट) किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति की स्वीकार्यता के अधीन है; या

(ठ) उसे उसके मामूली निवास स्थान पर जल स्नानगृह या शौचालय की कोई सुविधा नहीं है:

परन्तु कोई पीठासीन सदस्य निरर्हता प्राप्त समझा जाएगा यदि वह दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपति विनियमों का अनुकूलन) आदेश 2020 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा जारी, जिसकी अधिकारिता में उसका मामूली निवास स्थित है, इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता कि उसे उसके मामूली निवास स्थान पर जल स्नानगृह या शौचालय की कोई सुविधा प्राप्त है ।

(ड) वह इस विनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन निरर्हता प्राप्त है और वह अवधि जिसके लिए उसे इस प्रकार निरर्हित किसी गया था, व्यतीत नहीं हुई है; या

(ढ) उसकी दो से अधिक संतान हैं:

परन्तु दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपति विनियमों का अनुकूलन) आदेश 2020 के प्रारम्भ की तारीख को दो से अधिक संतान रखने वाला कोई व्यक्ति इस खंड के अधीन निरर्हित नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रारम्भ की तारीख को उसकी संतानों की संख्या में पश्चात्वर्ती वृद्धि नहीं होती है:

परन्तु यह और कि ऐसे प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एकल प्रसव में जन्मा हुआ एक बालक या एक से अधिक बालक, इस खंड के अधीन निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा ।

(ण) ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित है; या

(त) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के अधीन सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया है; या

(थ) उसे मतदान की तारीख से पांच वर्ष के भीतर सरकार या नगरपालिका या ग्राम पंचायत की सेवा से पदच्युत किया गया है; या 1974 का 2

(द) उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है; या

(ध) वह भारत का नागरिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण – 1 खंड (ढ) के प्रयोजनों के लिए –

(i) जहां ऐसे प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् किसी दम्पत्ति की केवल एक संतान है, पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से जन्मी संतानों की किसी भी संख्या को एक ईकाई समझा जाएगा;

(ii) 'संतान' के अन्तर्गत दत्तक संतान या संतानें नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण – 2 खंड (छ) के अधीन किसी पंचायत की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को मात्र इस कारण से निरर्हित नहीं किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति –

(क) किसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में हिस्सा रखता है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी में हिस्सा या हित रखता है जो किसी पंचायत के साथ संविदा करेगी या उसके द्वारा या उसके निमित्त नियोजित की जाएगी; या

(ख) किसी समाचारपत्र में हिस्सा या हित रखता है जिसमें किसी पंचायत के मामलों से संबंधित कोई विज्ञापन अंतःस्थापित किया जा सके; या

(ग) किसी पंचायत द्वारा या उसके निमित्त लिए गए किसी ऋण में डिवेंचर धारण करता है या अन्यथा उससे संबद्ध है; या

(घ) किसी पंचायत के निमित्त विधिक व्यवसायी के रूप में वृत्तिक के रूप से लगा हुआ है; या

(ङ) किसी स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे में हिस्सा या हित रखता है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा किराए की रकम अनुमोदित की गई है, ग्राम पंचायत के मामले में या जिला पंचायत द्वारा स्वयं के मामले में अथवा स्थावर संपत्ति के विक्रय या क्रय में या ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के लिए किसी करार में हिस्सा या हित रखता है; या

(च) किसी वस्तु के पंचायत को यदा-कदा विक्रय में कोई हिस्सा या हित रखता है जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता है अथवा पंचायत से किसी वस्तु के क्रय में हिस्सा या हित रखता है, दोनों मामलों में वस्तु का मूल्य किसी वर्ष में एक हजार रुपए से अधिक नहीं है; या

(छ) पंचायत के अधीन या उसके द्वारा या उसके निमित्त नियोजित किसी व्यक्ति का मात्र नातेदार है ।

स्पष्टीकरण – 3 खंड (झ) के प्रयोजन के लिए –

(i) कोई व्यक्ति निरर्हित नहीं समझा जाएगा यदि उसने अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए विहित दिन के पूर्व खंड (झ) में निर्दिष्ट बकाया या राशि का संदाय कर दिया है;

(ii) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य द्वारा या किसी समूह या ईकाई के व्यक्ति द्वारा, जिसके सदस्य रूढि द्वारा सम्पदा या आवास में संयुक्त हैं, पंचायत को खंड (झ) में निर्दिष्ट बकाया या राशि के संदाय में असफलता, यथास्थिति, ऐसे अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सभी सदस्यों या ऐसे समूह या ईकाई के सभी सदस्यों को निरर्हित करने वाली समझी जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होने से निरर्हित हो जाएगा यदि वह पांचवीं अनुसूची के अधीन निरर्हित हो जाता है ।"।

3. नई धारा 15क – धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

अनुपस्थिति से छूट । **"15क** (1) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जो अपनी पदावधि के दौरान –

(क) ग्राम से लगातार तीन मास से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तथा पंचायत द्वारा चार मास से अनधिक की अनुपस्थित होने के लिए छूट अनुदत्त की गई है; या

(ख) उक्त पंचायत की छूट के बिना पंचायत की बैठकों से लगातार चार मास के लिए अनुपस्थित रहता है,

सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा और तदुपरि पंचायत, यथासंभव शीघ्र, उसे सूचित करेगी कि रिक्ति हो गई है ।

(2) इस धारा के अधीन कोई रिक्ति हो गई है अथवा नहीं, इससे संबंधित कोई विवाद विनिश्चय के लिए पंचायत के सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा और पंचायत सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु ऐसा निर्देश विचार में नहीं लिया जाएगा यदि इसे उस तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात् जिसको पंचायत ऐसी रिक्ति के संबंध में सदस्य को उपधारा (1) के अधीन सूचित करती है ।

(3) जब कभी उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को छूट अनुदत्त की जाती है, जो उप-सरपंच है तो अन्य सदस्य, उन शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन स्वयं को इस प्रकार अनुपस्थित करने वाले उप-सरपंच का निर्वाचन है, ऐसी छूट अनुदत्त किए जाने की अवधि के दौरान उप-सरपंच के सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ।"।

4. धारा 16 – विद्यमान धारा 16 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित करें और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

"(2) उन कारणों से जिन्हें निर्वाचन आयोग पर्याप्त समझे, वह उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करके किसी निर्वाचन को पूर्ण करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम होगा ।

(3) जहां उस पंचायत के संबंध में, जिसका पुनर्गठन उसकी अवधि के अवसान के कारण किसी जाना है, प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्राकृतिक आपदा, बलवा, सांप्रदायिक अशांति, अपरिहार्य घटना के कारण पंचायत के पुनर्गठन के लिए अवधि के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना संभव नहीं है तो, इस विनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस प्रभाव की घोषणा करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, पंचायत की सभी शक्तियां और कर्तव्य उस अवधि के लिए जिसके दौरान अधिसूचना प्रवर्तन में रहती है, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे प्रशासक लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग की जाएंगी ।"।

5. धारा 19 – उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) आदेश, 2020 के प्रवर्तन के ठीक पूर्व कार्य कर रही ग्राम पंचायत के सदस्य, दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012 की धारा 19 की उपधारा (1) तथा दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे ।

6. नई धारा 22क – धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

ग्राम पंचायत के सरपंच या उप-सरपंच या किसी सदस्य का निलम्बन

"22क (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश द्वारा किसी सरपंच या उप-सरपंच या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को अपने पद से निलम्बित कर सकेगा जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले अपराध के संबंध में दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या जिसे किसी अपराध के लिए विचारण के दौरान कारावास में निरुद्ध किया गया है अथवा जो कारावास का ऐसा दंड भुगत रहा है जो उसे धारा 14 के अधीन पंचायत के सदस्य बने रहने से निरर्हित नहीं करेगा या जिसे तत्समय प्रवृत्त निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सरपंच या उप-सरपंच या सदस्य को निलम्बित किया गया है, वहां ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य, उन शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन इस प्रकार निलम्बित सरपंच या उप-सरपंच या सदस्य का निर्वाचन है, ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसा निलम्बन बना रहता है, सरपंच या उप-सरपंच या सदस्य के सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी।"

7. धारा 23 – धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

पद से हटाया जाना

"23. (1) पंचायत सचिव पंचायत के किसी सदस्य, यथास्थिति, सरपंच या उप-सरपंच को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और इस निमित्त सम्यक् नोटिस देकर तथा ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि ऐसा सदस्य, यथास्थिति, सरपंच या उप-सरपंच अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या किसी अशोभनीय आचरण अथवा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग या इस विनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में निरन्तर व्यतिक्रम का दोषी है अथवा इस विनियम के अधीन अपनी कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में अक्षम हो गया है। इस प्रकार, हटाया गया, यथास्थिति, सरपंच या उप-सरपंच पंचायत सचिव के विवेकानुसार पंचायत की सदस्यता से भी हटाया जा सकेगा।

(2) पंचायत सचिव, उपधारा (1) में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निर्रहित कर सकेगा जिसने से किसी सदस्य, सरपंच या उप-सरपंच के अपने पद से त्यागपत्र दिया है या अन्यथा किसी ऐसे पद को धारण करने से प्रवरित हो गया है और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अवचार का दोषी पाया गया है और अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहा है,

परंतु इस उपधारा अधीन कार्रवाई किसी व्यक्ति द्वारा त्यागपत्र देने या ऐसे पद को धारण करने से प्रवरित होने के छह मास की अवधि के भीतर की जाएगी।

(3) पंचायत सचिव के उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रशासक या उसकी ओर से इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

8. नई धारा 34क.- धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

ग्राम पंचायत से शक्तियों, कृत्यों आदि का उपांतरण ।

"34क. किसी ग्राम पंचायत को किसी मामले में किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के अंतरण के होते हुए भी, जहां प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि प्रकृति में परिवर्तन के कारण, कोई मामला दूसरी अनुसूची का मामला नहीं रह गया है और ऐसे मामले के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को वापस लेना आवश्यक हो गया है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले लिए जाएंगे तथा ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक आदेश, जो ऐसे मामलों को, जिसमें पंचायत में निहित संपत्ति, अधिकारों और दायित्वों, यदि कोई हो, और कर्मचारिवृन्द, यदि कोई हो को वापस लेना के लिए आवश्यक हो जो पंचायत को स्थानांतरित किए गए हों, कर सकेंगे ।"।

9. धारा 51.- धारा 51 के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

चूक के लिए पंचायत का अधिक्रमण या विघटन ।

"51. (1) यदि प्रशासक की राय में, यदि ग्राम पंचायत अपनी शक्तियों से आगे बढ़ती है या उनका दुरुपयोग करती है या इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन या उसे न्यस्त कृत्यों करने में अक्षम है या वरिष्ठ ग्राम पंचायत या प्रशासक द्वारा या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश की लगातार अवज्ञा करती है तो प्रशासक, ग्राम पंचायत को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् राजपत्र में आदेश द्वारा -

(i) ऐसी ग्राम पंचायत का विघटन कर सकेगा, या

(ii) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी ग्राम पंचायत को अधिक्रांत कर सकेगा :

परंतु ऐसी अवधि छह मास या ऐसी ग्राम पंचायत की अवशेष अवधि, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्रशासक पूर्ववर्ती परंतुक के अध्यधीन समय-समय पर ऐसी जांच करने के पश्चात जो यह आवश्यक समझे, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा ऐसी ग्राम पंचायत के अधिक्रमण की अवधि को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो या उसी प्रकार के आदेश द्वारा अधिक्रमण की अवधि को कम कर सकेगा ।

(2) जब किसी ग्राम पंचायत का विघटन या अधिक्रमण हो जाता है तो ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त करेंगे ।

(3) जब ग्राम पंचायत का विघटन या अधिक्रमण हो जाता है तो यह इस विनियम में उपबंधित रीति में पुनर्गठित की जाएगी ।

(4) यदि किसी ग्राम पंचायत का विघटन या अधिक्रमण हो जाता है तो -

(क) यथास्थति, विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त समय-समय नियुक्त किए जाएं, किया जाएगा , और

(ख) ग्राम पंचायत में निहित सभी संपत्तियां, यथास्थिति, विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रशासक में निहित होंगी ; और

(ग) ग्राम पंचायत, यथास्थिति, विघटन पर या अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर इस विनियम में उपबंधित रीति में पुनर्गठित की जाएगी और पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।"।

10. धारा 58.- धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

निर्रहताएं

"58. (1) कोई व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा या उस पद पर बना नहीं रहेगा , जो –

(क) इस विनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात् निम्नलिखित का दोषसिद्ध ठहराया गया है –

(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध और उसके दोषसिद्ध होने के पश्चात् पांच वर्ष या ऐसी अन्यून अवधि जिसे प्रशासक किसी विशेष मामले में अनुज्ञेय करे, व्यपगत हो चुकी है ; या 1955 का 22

(ii) किसी ऐसे अपराध के लिए छह मास से अन्यून अवधि के कारावास के दंड से और उसकी निर्मुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष या ऐसी अन्यून अवधि जिसे प्रशासक किसी विशेष मामले में अनुज्ञेय करे, व्यपगत हो चुकी है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत विकृतचित है ;

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत दिवालिया है और उसने उन्मोचन प्राप्त नहीं किया है ;

(घ) इस विनियम के उपबंधों के अधीन उसे किसी जिला पंचायत से उसके द्वारा धारित किसी पद से हटाया गया है या इस विनियम के लागू होने से पूर्व उसे किसी जिला पंचायत से उसके द्वारा धारित किसी पद से हटाया गया है और इस प्रकार हटाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत नहीं हुई है तो जब तक प्रशासक राजपत्र में किसी आदेश द्वारा उसे इस प्रकार हटाए जाने के कारण निर्रहता से अवमुक्त नहीं कर देता है ; या

(ङ) इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन उसे पदधारण करने से निर्रहित किया गया है और ऐसी अवधि जिसके लिए वह निर्रहित किया गया था, व्यपगत नहीं हुई है ; या

(च) इस विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किसी स्थान या कार्यालय से भिन्न किसी पंचायत के वैतनिक पद या लाभ के पद पर उपहार या निपटान के कारण धारण किया हुआ है ; या

(छ) पंचायत के आदेश पर किए गए किसी कार्य में या कोई संविदा जो उसके साथ की गई है या उसके द्वारा की गई है या उसकी ओर से की गई है या उसके साथ नियोजन किया गया है या पंचायत के अधीन है, में उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है ; या

(ज) पंचायत के किसी ऐसे सेवक या किसी अधिकारी से उधार लिया है या उसको दिये अग्रिम धन के ऋण के किसी संव्यवहार में उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है ; या

(झ) इस विनियम के अधीन उससे उद्ग्रहणीय किसी रकम या उसके अधीनस्थ किसी पंचायत या उसके द्वारा पंचायत को संदेय किसी प्रकार के बकाया का संदेय करने में इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार विशेष नोटिस देने और उस पर तामील होने के तीन मास के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है ; या

(ञ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का कोई सेवक है ; या

(ट) उसने स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है या किसी विदेशी राज्य की निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार कर लिया है ; या

(ठ) उसके साधारण निवास के स्थान पर जल संग्रहिका या पाखाना की प्रसुविधा नहीं है :

परंतु कोई आसीन दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकुलन) आदेश, 2020 के लागू होने की तारीख से छह मास के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव जिसकी अधिकारिता में उसका साधारण आवास निवास अवस्थित है, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि उसके साधारण निवास पर जल संग्रहिका या पाखाना की प्रसुविधा है, प्रस्तुत नहीं कर देता है तो उसके द्वारा निर्रहता उपगत होना समझा जाएगा ।

(ड) इस विनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन निर्रहित है और ऐसी अवधि जिसके लिए वह निर्रहित हो गया था, व्यपगत नहीं हुई है ; या

(ढ) उसके दो से अधिक बालक हैं :

परंतु दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकुलन) आदेश, 2020 के लागू होने की तारीख पर किसी व्यक्ति के दो से अधिक बालक होना इस खंड के अधीन तब तक निर्रहित नहीं होगा जब तक ऐसे लागू होने की तारीख पर बालकों की संख्या और बढ़ नहीं जाती है :

परंतु यह और कि ऐसे लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एकल प्रसव से उत्पन्न एक या एक से अधिक बालक इस खंड के अधीन निर्रहता के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा ;

(ण) ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है ; या 1974 का 2

(त) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश किया गया है ; या

(थ) मतदान की तारीख से पूर्व पांच वर्ष के भीतर कदाचार के लिए सरकार या नगरपालिका या ग्राम पंचायत की सेवा से पदच्युत किया गया है ; या

(द) 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ; या

(ध) भारत का नागरिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1.- खंड (ढ) के प्रयोजनों के लिए,-

(i) ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके पश्चात् किसी दंपती का केवल एक बालक है तो तत्पश्चात् एकल प्रसव से उत्पन्न बालकों की संख्या को केवल एक इकाई समझा जाएगा ;

(ii) 'बालक' में दत्तक ग्रहित कोई बालक या बालक सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण 2.- कोई व्यक्ति किसी पंचायत की सदस्यता के लिए खंड (छ) के अधीन निर्रहित नहीं होगा, यदि,-

(क) ऐसे व्यक्ति का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी में किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी में कोई अंश या हित है और जिसने किसी पंचायत की ओर से कोई संविदा की है या उसके द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है ; या

(ख) जिसका किसी ऐसे समाचार पत्र में कोई अंश या हित है जिसने किसी पंचायत के कार्य के संबंध में किसी विज्ञापन का अंतःस्थापन किया है ; या

(ग) किसी डिबेंचर का धारक है या अन्यथा किसी पंचायत या उसकी ओर से वसूल किए गए ऋण से संबद्ध है ; या

(घ) किसी पंचायत की ओर से विधिक व्यवसायी के रूप में व्यवसाय में लगा हुआ है ; या

(ङ) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति के पट्टे में उसका कोई अंश या हित है जिसके भाड़े की रकम का ग्राम पंचायत की दशा में जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन किया गया है या उसके स्वयं की दशा में या स्थावर संपत्ति के किसी विक्रय या क्रय की दशा में या ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के लिए किसी करार में जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन किया गया है ; या

(च) किसी ऐसे वस्तु का जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, पंचायत को यदा-कदा किए जाने वाले विक्रय में उसका अंश या हित है जिसका मूल्य किसी भी दशा में एक वर्ष में एक हजार रुपए से अधिक नहीं है ; या

(छ) किसी पंचायत की ओर से या उसके द्वारा या उसके अधीन या उसके साथ नियोजन में किसी व्यक्ति का मात्र कोई संबंधी है ।

स्पष्टीकरण 3.- खंड (झ) के प्रयोजन के लिए,-

(i) किसी व्यक्ति को निर्रहित नहीं समझा जाएगा, यदि उसने इस उपधारा के खंड (झ) में निर्दिष्ट रकम या बकाया का संदत्त अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विनिर्दिष्ट दिन के पूर्व कर दिया हो ;

(ii) किसी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा या समूह या इकाई से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा यदि पंचायत को इस उपधारा के खंड (झ) में निर्दिष्ट किसी रकम या बकाया का संदाय करने में विफल रहते हैं तो ऐसे सदस्य जो रीति-रिवाज द्वारा संपदा या निवास में संयुक्त हैं तो ऐसे अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के या, यथास्थिति, ऐसे समूह या इकाई के सभी सदस्य निर्रहित समझे जाएंगे ।

(2) कोई व्यक्ति जिला पंचायत के सद्स्य होने के लिए निर्रहित हो जाएगा, यदि वह 5वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्रहित है।"।

11. नई धारा 59क और 59ख.-

धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

निर्वाचन

"59क(1) किसी जिला पंचायत के सद्स्यों का निर्वाचन ऐसी रीति में (जिसमें मतदान की रीति भी सम्मिलित है) जो विहित की जाए और ऐसी तारीख या तारीखों पर जो प्रशासक द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा निर्देशित की जाएं, किया जाएगा :

परंतु कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति के उद्भूत होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी जिला पंचायत के साधारण निर्वाचन के पूर्व छह मास के भीतर उद्भूत होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्वाचन आयोग ऐसे कारणों के लिए जो यह पर्याप्त समझता है, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करके किसी निर्वाचन को पूर्ण करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए सक्षम होगा ।

(3) यदि प्रशासक का यह समाधान हो गया है कि किसी पंचायत के संबंध में जिसकी अवधि की समाप्ति के कारण उसका पुनर्गठन होना है, पंचायत के पुनर्गठन के लिए समाप्ति की अवधि के पूर्व प्राकृतिक आपदा, दंगे, सांप्रदायिक दंगे, अपरिहार्य घटना के कारण पंचायत के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन कराना संभव नहीं है तो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी करने पर पंचायत की सभी शक्तियां और कर्तव्य ऐसी अवधि के लिए जिसमें अधिसूचना प्रवृत्त रहती है, ऐसे अधिकारी द्वारा जो प्रशासक आदेश द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग की जाएंगी और कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा ।

अनुपस्थिति की छुट्टी ।

59ख. (1) जिला पंचायत का कोई सदस्य अपनी पदावधि के दौरान जो –

(क) जिले से लगातार तीन मास से अधिक अनुपस्थित है और पंचायत द्वारा उसे ऐसा अनुपस्थित रहने के लिए चार मास से अनधिक समय के लिए अनुमति प्रदान की गई है ; या

(ख) पंचायत की बैठकों से लगातार चार मास के लिए उक्त पंचायत से बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है तो वह सदस्य नहीं बना रहेगा और उसका पद खाली हो जाएगा तथा उसके पश्चात् पंचायत यथाशीघ्र उसे सूचित करेगी कि रिक्ति उद्भूत हो चुकी है ।

(2) कोई विवाद कि इस धारा के अधीन रिक्ति उद्भूत हुई है या नहीं, विनिश्चय के लिए पंचायत सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा और पंचायत सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु ऐसा निर्देश ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि ऐसी रिक्ति के संबंध में सदस्य को उपधारा (1) के अधीन पंचायत द्वारा सूचना देने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है ।

(3) जब कभी उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे सदस्य को छुट्टी प्रदान की जाती है जो उपाध्यक्ष है तो दूसरा सद्स्य ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय अनुपस्थित रहने वाले उपाध्यक्ष के लिए थीं, ऐसी अनुदत्त की गई छुट्टी की अवधि के दौरान उपाध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।"।

13. धारा 61.- उपधारा (5) में -

(i) "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात् "और उपाध्यक्ष" शब्द अंत:स्थापित करें ;

(ii) "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों" शब्द रखें";

(iii) परंतुक में, "अध्यक्ष" के पश्चात् "और उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित करें;

(iii) उपधारा (5) के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

"(6) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि,यदि जिला पंचायत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, उनकी पहले अधिवेशन के लिए नियुक्त किया जाता है उस तारीख से अधिकतम दो वर्ष और छह मास की अवधि तक किया जाएगा और इससे अधिक नहीं।"।

14. धारा 62. धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित रखेँ –

अधिवेशन ।

"**62.** अध्यक्ष -

(i) जिला पंचायत की अधिवेशन को बुलाएगा,अध्यक्षता करेगा तथा आयोजित करेगा;

(ii) पंचायत के अभिलेख तक पहुंच होगी;

(iii) उस पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा तथा इस विनियम के अधीन या उसके द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(iv) पंचायत के वित्तीय तथा कार्यपालिका प्रशासन पर नजर रखेगा और पंचायत को इससे जुड़े सभी प्रश्नों को प्रस्तुत करेगा जो उसके आदेश की अपेक्षा के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे; और

(v) पंचायत अथवा उसकी किसी समिति के संकल्प या विनिश्चय के क्रियान्वयन की सुरक्षा के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ऊपर प्रशासनिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा ।" ।

15. नई धारा 66क. – धारा 66 के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य का निलंबन ।

"66क. (1) सचिव पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई आपराधिक कार्यवाही है जिसके अंतर्गत नैतिक अद्यमता संस्थित की गई हो या जिसको किसी अपराध के लिए विचारण के दौरान कारावास में निरुद्ध किया गया हो या जो कारावास के ऐसे दंडादेश को भुगत रहा हो जैसे कि वह धारा 58 के अधीन पंचायत के सदस्य के रुप में बने रहने के लिए निरर्हित नहीं किया जाएगा, अथवा जो तत्समय प्रवृत्त निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया हो ।

(2) जहां जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन निलंबित किया गया है, अन्य सदस्य उन शर्तों के अधीन जिसमें यथास्थिति, निलंबित किए गए जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य का निर्वाचन हुआ है, यथास्थिति, उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसा निलंबन बना रहता है जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का सभी कर्तव्य का निर्वहन करने और सभी शक्तियों पालन करने के लिए निर्वाचित किया गया था ।

(3) कोई अपील जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया हो, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसकी ओर से प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष रखी जाएगी ।"।

16. नई धारा 67क- धारा 67 के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

पद से हटाया जाना ।

"67क. (1) सचिव पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके किसी सदस्य को, उसको सुनवाई का एक अवसर दिए जाने और उसकी ओर से सम्यक नोटिस देने के पश्चात तथा ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, पद से आदेश द्वारा हटा सकता है, यदि ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनें कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार या निकृष्ट आचरण का दोषी होता है या इस विनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में लगातार व्यतिक्रम करता है अथवा इस विनियम के अधीन अपनी कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ हो गया है तथा यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पंचायत के सचिव के विवेकाधिकार पर इस प्रकार हटाया जाना पंचायत की सदस्यता से भी उसे हटाया जा सकता है ।"

(2) पंचायत सचिव उपधारा (1) में अधिकथित निम्नलिखित प्रक्रिया के पश्चात् आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए निरर्हित कर सकेगा जिसने सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्यथा किसी ऐसे पद पर न रहने वाले किसी व्यक्ति को जिसने पद त्याग कर दिया है, तथा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवचार का दोषी हो गया है या अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है;

परंतु ऐसी कार्यवाई उस तारीख से छह मास के भीतर की की जाएगी जिसमें कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद का त्याग करता है या पद पर नहीं रहता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सचिव पंचायत के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश के विरुद्ध प्रशासक या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी को अपील करेगा ।"।

17. धारा 70- धारा 70 के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

मुख्य कार्य पालिका अधिकारी और अन्य अधिकारियों के कृत्य ।

"70. (1) अभिव्यक्त रुप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस नियम के द्वारा या उसके अधीन, इस विनियम के उपबंधों को क्रियान्यवित करने के प्रयोजन के लिए जिला पंचायत की कार्यपालिका शक्ति मुख्य कार्यपालिका अधिकारी में निहित होगी और वह –

(क) सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी सभी शक्तियों का पालन करेगा जो इस विनियम के द्वारा या उसके अधीन, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जो विनिर्दिष्ट रुप से उस पर अधिरोपित या प्रदत्त की गई हो; और

(ख) जिला पंचायत के सभी अधिकारियों और सेवकों के कर्तव्य अधिकथित करेगा।

(2) इस विनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी –

(क) हकदार होगा-

(i) जिला पंचायत या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में भाग लेने के लिए;

(ii) जिला पंचायत के अधीन किसी अधिकारी या सेवक या पदधारक से किसी सूचना, विवरणी कथन, लेखा या रिपोर्ट की मांग करने के लिए;

(iii) अधिकारियों के ऐसे वर्ग के अनुपस्थिति की छुट्टी की मंजूरी के लिए जो नियमों द्वारा विहित की गई हो;

(iv) जिला पंचायत के अधीन किसी अधिकारी या उसके सेवक या पदधारी से स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए;

(ख) जिला पंचायत के नियंत्रण के अध्यधीन, ऐसे मामलों के संबंध में कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस विनियम के द्वारा या उसके अधीन किया गया हो, किसी समिति, जिला पंचायत के पीठासीन अधिकारी या किसी अधिकारी पर अभिव्यक्त रुप से अधिरोपित या प्रदत्त नहीं किया गया हो;

(ग) अधिकारियों और सेवकों के ऐसे वर्ग की नियुक्ति जो विहित की जाए;

(घ) जिला पंचायत के सभी नैमित्तिक श्रमिक, दैनिक मजदूरी कर्मकार और संविदाकारक नियोजन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, वचनबद्ध;

(ड.) जिला पंचायत की सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, विनियोजन;

(च) जिला पंचायत के सभी कार्यों और विकसित स्कीमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करना;

(छ) जिला पंचायत के संबंध में सभी पेपर और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखना;

(ज) जिला पंचायत के अधीन पदधारण करने वाले अधिकारियों के कार्यों पर प्रत्येक वर्ष गोपनीयता पूर्वक राय तक पहुंचना और उन्हें देना; उन्हें ऐसे प्राधिकारियों को अग्रेषित करना जो संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए तथा जिला पंचायत के अधीन अधिकारियों और सेवकों के कार्यों के बारे में लिखित में ऐसी रिपोर्ट अधिकथित करना;

(झ) निधियों के बाहर धन का आहरण और संवितरण;

(ञ) कार्यपालिका प्रशासन के मामले तथा जिला पंचायत के लेखाओं और अभिलेखों से संबंधित मामलों में जिला पंचायत के अधीन पदधारण करने वाले अधिकारियों और सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उसके ऊपर नियंत्रण करना ; और

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का पालन करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए ।

(3) मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ऐसी शर्तों के अध्यधीन,जो वह जिला पंचायत के अधीन पदधारण करने वाले किसी अधिकारी या सेवक के लिए उनकी शक्तियों और कृत्यों को अधिरोपित, प्रत्यायोजित कर सकने के लिए उचित समझे, परंतु ऐसा अधिकारी या सेवक ऐसी पंक्ति से अन्यून नहीं होगा जो विहित की जाए ।

(4) इस विनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत के साधारण नियंत्रण के अधीन होगा ।" ।

18. धारा 73. – धारा 73 में -

(i) उपधारा (1) में, खंड (क), (ख), (ग), (ड.), (च) और (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखेँ --

"(क) कार्यपालिका समिति, (ख) लोक स्वास्थ्य समिति, (ग) लोक कल्याण समिति, (ड.) उत्पादन, सहयोग तथा सिंचाई समिति, (च) सामाजिक न्याय समिति (छ) महिला, बाल विकास और युवा क्रियाकलाप समिति ।"

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

(2क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त, जिला पंचायत प्रशासक के पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसी समिति या समितियों का गठन कर सकेगा जो जिला पंचायत द्वारा किए गए विनिश्चय द्वारा किसी कार्य या स्कीम का निष्पादन करेगा अथवा उसकी जांच करेगा तथा ऐसे मामले पर जिला पंचायत को रिपोर्ट करेगा जो पंचायत ऐसी समिति या समितियों को निर्दिष्ट कर सकेगा तथा जिला पंचायत किसी ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विनियम बना सकेगी ।" ।

19. धारा 97- धारा 97 के स्थान पर रखे-

व्यतिक्रम के लिए पंचायतों का विघटन या अधिक्रमण ।

(1) यदि प्रशासक की राय में, जिला पंचायत अपनी शक्तियों का अधिक उपयोग या दुरुपयोग करता है या निर्वहन करने में अक्षम है या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में या तत्समय प्रवृत्त इस विनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के अधीन न्यस्त कृत्यों का लगातार व्यतिक्रम करता है, या इस विनियम के अधीन उच्चतर जिला पंचायत अथवा उसके प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी आदेश की अवज्ञा करने में विफल होता है या किसी ऐसे आदेश की लगातार अवज्ञा करता है, प्रशासक राजपत्र में आदेश द्वारा स्पष्टीकरण देने का एक अवसर जिला पंचायत को देगा --

(i) ऐसे जिला पंचायत का विघटन करेगा, अथवा

(ii) आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे जिला पंचायत का अधिक्रांत करेगा:

परंतु ऐसी अवधि ऐसे जिला पंचायत की छह मास या अवशिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्रशासक ऐसी जांच करने के पश्चात् समय समय पर पूर्ववर्ती उपबंध के अध्यधीन जो राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा वह आवश्यक समझे, ऐसे जिला पंचायत के अधिक्रमण की अवधि का विस्तार कर सकेगा जब तक ऐसी तारीख जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए या अधिक्रमण की अवधि को कम सके ।

(2) जब किसी जिला पंचायत का विघटन या अधिक्रमण होता है, जिला पंचायत के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रुप में अपने पद से रिक्त होंगे

(3) जब जिला पंचायत का विघटन या अधिक्रमण हो जाता है, उसे इस विनियम में उपबंधित रीति में पुन:गठित किया जाएगा ।

(4) यदि कोई जिला पंचायत विघटित या अधिक्रांत होता है –

(क) जिला पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्य के विघटन या अधिक्रमण की ऐसी अवधि के दौरान जो विहित की जाए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पालन और निर्वहन की जाएगी जो उसकी ओर से नियुक्त समय-समय पर प्रशासक द्वारा की जाए, और

(ख) जिला पंचायत में निहित सभी संपत्ति यथास्थिति, विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रशासक में निहित होंगी; और

(ग) यथास्थिति, विघटन अथवा अधिक्रांत की अवधि के अवसान पर जिला पंचायत का इस विनियम में उपबंधित रीति में पुनर्गठित किया जाएगा और रिक्त पदों के व्यक्ति पुन:निर्वाचन के लिए पात्र हो जाएंगे ।"।

20. नई धारा 98क – धारा 98 के पश्चात् अंत:स्थापित करें --

जिला पंचायत की शक्तियों, कृत्यों आदि का उपांतरण।

"98क. जिला पंचायत के किसी विषय के संबंध में किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के अंतरण के होते हुए भी, जहां प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि विषय की प्रकृति में परिवर्तन के कारण, वह विषय तीसरी अनुसूची में विषय के रुप में नहीं रहा है और जिला पंचायत से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विषयों के संबंध में शक्तियों, कृत्य या कर्तव्य को वापस लेना आवश्यक हो जाता है, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को वापस लिया जाएगा तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश किए जाएंगे जो ऐसे विषयों का उपबंध करने के लिए आवश्यक हैं जिसके अंतर्गत पंचायत और उसके कर्मचारीवृंद, यदि कोई हों, जिसे पंचायत को अंतरित किया गया है, में निहित संपत्ति के अधिकार तथा दायित्व सम्मिलित है ।" ।

21. धारा 111 – खंड (ग) में, "2012" के पश्चात् "और दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012" अंत:स्थापित करें ।"।

22. नई धारा 120क – धारा 120 के पश्चात् अंत:स्थापित करें -

समिति के सरपंच, उप-सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति के विरुद्ध अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी ।

"120क. कोई न्यायालय, प्रशासक या उसकी ओर से प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो इस विनियम के अधीन गठित पंचायत का सरपंच, उप-सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या समिति का सभापति है या हुआ है उसके द्वारा उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में कार्य करने के लिए तात्पर्यित या करते समय उसके द्वारा कारित करने के लिए अभिकथित किसी अपराध का अभियुक्त है ।" ।

23. धारा 121 – उपधारा (2) में, -

(क) खंड (यघ) में, -

(i) "अध्यक्ष" के पश्चात् "और उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित करें;

(ii) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" के स्थान पर "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति" रखें ;

(ख) खंड (यछ) में, "उपधारा (1) के खंड (ड.)" के स्थान पर "उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ग), खंड (छ) और खंड (ञ) का उपखंड (iii)"रखें ।

24. पांचवीं अनुसूची – खंड (1) में –

(i) उपखंड (क) के स्थान पर रखें -

"(क) पंचायत" से इस विनियम के अधीन गठित जिला पंचायत अभिप्रेत है;";

(ii) उपखंड (ख) का लोप करें ।

[फा. सं 11025/3/2020-यू टी एल]

गोविन्द मोहन, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Union Territory Division)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2020

S.O. 3495(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Order, 2020.

   (2)It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Act and Regulations mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of a Regulation, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26thday of January, 2020; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance, with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The omission or amendment of any section or provision of a Regulation or repeal of any Law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

   (a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such section or provision so omitted or repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any section or provision so omitted or repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 or this Order had not come into force.

(2) Subject to the sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

THE SCHEDULE

(See paragraph 3)

1. STATE LAW

THE GOA, DAMAN AND DIU MUNICIPALITIES ACT, 1968 (7 of 1969) [as applicable to the erstwhile Union territory of Daman and Diu].

Repeal as a whole.

****

2. PRESIDENTIAL REGULATIONS

(A). THE GOA, DAMAN AND DIU PANCHAYAT REGULATION, 1962

(No. 9 of 1962)

Repeal as a whole.

****

(B). THE DADRA AND NAGAR HAVELI MUNICIPAL COUNCIL REGULATION, 2004

(2 of 2004)

1. In the Principal Regulation, in the long title, in the short title, in sub-sections (2) of section 1, in clauses (1) and (55) of section 2, in sub-section (1) of section 5, in sub-section (1) of section 12, in clause (a) of sub-section (4) and in sub-section (5) of section 78A, in section 139 and in Schedule I, Schedule II, Schedule IV and Schedule IX of the Regulation, after "Dadra and Nagar Haveli" wherever they occur, insert "and Daman and Diu".

2. Section 2.– In clause (7), after "Haveli" insert "or Collector of Daman or Collector of Diu, as the case may be;".

3. Section 4.– For section 4 substitute –

Constitution of Municipal Council for Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

"**4.** There shall be constituted a Municipality for the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu municipal area to be known as the Silvassa Municipal Council, Daman Municipal Council and Diu Municipal Council, respectively.".

4. Section 5.– After sub-section (2) insert-

"(3) It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient, to extend the time for the completion of any election by making necessary amendments in the notification issued by it.".

5. Section 17.– In sub-section (1), in clause (a), after "1954" insert-

"or by a court in Daman and Diu before the 20th day of December, 1961".

6. Section 27.– In sub-section (2), for "fine which may extend to two hundred and fifty rupees" substitute "imprisonment for a term which may extend to three months and fine which may extend to rupees two thousand and five hundred.".

7. Section 28.– In sub-section (2), for "two hundred and fifty rupees" substitute " rupees two thousand and five hundred ".

8. Section 29.– In sub-section (3), for "two hundred and fifty rupees" substitute " rupees two thousand and five hundred".

9. Section 30.– For "fine which may extend to two hundred and fifty rupees" substitute "imprisonment for a term which may extend to three months and fine which may extend to rupees two thousand and five hundred".

10. Section 33.– In sub-section (1), for "five hundred rupees" substitute " rupees fifty thousand".

11. Section 34.– In sub-section (1), for "five hundred rupees" substitute " rupees five thousand".

12. New section 43A.– After section 43 insert–

Appointment of officer to exercise powers of municipality in unforeseen circumstances.

"43A.Where it is not possible to hold the election to constitute a municipality as provided in section 43 on account of unforeseen circumstances such as natural calamity, riots or communal disturbances, all powers and duties of the municipality shall be exercised and performed by such officer as the Government may, by order, appoint from time to time in this behalf.".

13. Section 58.– After the "Vice-President" wherever they occur, insert "or Councillor".

14. New section 58A.– After section 58 insert–

Suspension of President or Vice-President.

"58A. (1) The Director, Municipal Administration, may by order suspend from the office a President or Vice-President against whom any criminal proceedings in respect of any offence alleged to have been committed by him under the Prevention of Corruption Act, 1988 or while acting or purporting to act in the discharge of his duties under this Regulation have been instituted or who has been detained in the prison during trial under the provisions of any law for the time being in force. 49 of 1988.

(2) Where a President or Vice-President has been suspended under sub-section (1), a Councillor shall be elected to perform all the duties and exercise all the powers of a President or, as the case may be, a Vice-President during the period for which such suspension continues.

(3) An appeal against an order passed by the Director, Municipal Administration under sub-section (1) shall lie before the Government within a period of thirty days from the date of the order.".

15. Section 78A.– In the proviso to the sub-section (1), for "Dadra and Nagar Haveli Panchayat Regulation, 2012" substitute "any other Act".

16. Section 155.– After "1971 or" insert "Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890) or".

17. Section 180.– (i) In sub-section (2)-

(a) after "special order" insert ", or by any other law for the time being in force" ;

(b) in the proviso–

(A) after "of the Council" insert "or any other law for the time being in force";

(B) for "as the council may from time to time prescribe" substitute "as may be prescribed from time to time";

(ii) in sub-section (3)–

(a) in the opening portion omit "fails to";

(b) in clause (i), for "furnish" substitute " fails to furnish";

(iii) in sub-section (4):–

(a) in the opening portion, for " and documents, the chief officer" substitute "and documents, the chief officer, with prior approval of Chairman, Planning and Development Authority of the district concerned";

(b) in clause (b), after "thereunder" insert "or any other law for the time being in force" ;

(iv) omit sub-section (5);

(v) in sub-section (6), after "thereunder" insert "or any other law for the time being in force";

(vi) in sub-section (7)–

(a) omit "or sub-section (5)";

(b) for "one year" substitute "three years";

(vii) in sub-section (8), in clause (i), omit "or of the Council under sub-section (5)";

(viii) in sub-section (11), omit "the council or";

(ix) in sub-section (12), after "under this Regulation" insert "or any other law for the time being in force".

18. Omit sections 181 and 182.

19. Section 183.– (i) In the marginal heading omit "and Council";

(ii) in sub-section (3), in clause (b), for "Land Acquisition Act, 1894" substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

20. Section 185.– (i) in sub-section (2)–

(a) in the opening portion, after "bye-laws" insert ", or the Government may by any other law" ;

(b) after clause (ii) insert–

"Provided that the Government may, for bringing uniformity in grant of permission may make any rules and bye-laws under any law for the time being in force and direct that the same may be used by the Council as building bye-laws.";

(ii) in sub-section (4), for "Council" substitute "Director of Municipal Administration".

21. Section 186.– In sub-section (1), in the proviso, in clause (b), in sub-clause (ii), after "under this Regulation at the time in force or" wherever they occur, insert "any other law for the time being in force".

22. Section 192.– for "Council" wherever it occurs, substitute "Chief Officer".

23. New section 288A.– After section 288 insert–

Previous sanction for prosecution against President or Vice-President or Councillor.

"288A. No court shall take cognizance of any offence except with the previous sanction of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf in cases where any person, who is or has been a President or Vice-President or Councillor of a municipality, is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty.".

24. Section 309.– In sub-section (4), for "Land Acquisition Act, 1894" substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

25. Section 319.– In sub-section (1), in clause (d), after "1965" insert "and Goa, Daman and Diu Village Panchayats Regulation, 1962 (9 of 1961)" .

26. Section 322.– After "Panchayat", wherever it occurs, insert "or Council".

27. Section 323.– (a) After "Panchayat", wherever it occurs, insert "or Council";

(b) in clause (c), after "2012" insert "or Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (5 of 2012)".

28. Section 324.– After "Panchayat", wherever it occurs, insert "or Council".

29. Section 325.– After "Panchayat", wherever it occurs, insert "or Council" .

****

(C). THE DAMAN AND DIU PANCHAYAT REGULATION, 2012

(No. 4 of 2012)

Repeal as a whole.

****

(D). THE DADRA AND NAGAR HAVELI PANCHAYAT REGULATION, 2012 (No. 5 of 2012)

1. In the Principal Regulation, in the long title, in the short title, in sub-sections (1) and (2) of section 1, clauses (a), (b), (g), (q), (w), (z) and (zc) of section 2; sub-section (3) of section 68, sub-section (1) of section 99, section 100 and in the Fifth Schedule, after "Dadra and Nagar Haveli", wherever they occur, insert "and Daman and Diu".

2. Section 14.– For section 14 substitute –

Disqualification.

"14. (1) No person shall be a member of a Gram Panchayat or continue as such who-

(a) has, whether before or after the commencement of this Regulation, been convicted-

(i) of an offence under the Protection of Civil Rights Act, 1955 and a period of five years, or such lesser period as the Administrator may allow in any particular case, has elapsed since his conviction; or 22 of 1955.

(ii) of any other offence and been sentenced to imprisonment for not less than six months, and a period of five years, or such lesser period as the Administrator may allow in any particular case, has elapsed since his release; or

(b) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind; or

(c) has been adjudicated as an bankrupt or insolvent and has not obtained his discharge; or

(d) has been removed from any office held by him in any Gram Panchayat under any provision of this Regulation or in any gram panchayat before the commencement of this Regulation and a period of five years has not elapsed from the date of such removal, unless he has, by an order of the Administrator notified in the Official Gazette, been relieved from the disqualification arising on account of such removal from office; or

(e) has been disqualified from holding office under any provision of this Regulation and the period for which he was so disqualified has not elapsed; or

(f) holds any salaried office or place of profit in the gift or disposal of any panchayat, other than as such office or place as prescribed under this Regulation; or

(g) has, directly or indirectly, any share or interest in any work done by order of the panchayat, or in any contract with, by or on behalf of, or employment with or under the panchayat; or

(h) has, directly or indirectly, any share or interest in any transaction of loan of money advanced to or borrowed from any officer or servant of any panchayat; or

(i) fails to pay any arrears of any kind due by him to the panchayat or any panchayat subordinate thereto or any sum recoverable from him under this Regulation, within three months after a special notice in accordance with the rules made in this behalf has been served upon him; or

(j) is a servant of the Government or any local authority; or

(k) has voluntarily acquired the citizenship of a Foreign State or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a Foreign State; or

(l) has no facility of water closet or privy accommodation at the place of his ordinary residence:

Provided that a sitting member shall be deemed to have incurred disqualification if he does not submit to the Chief Executive Officer, within six months from the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Order, 2020, a certificate issued by the Panchayat Secretary of the Gram Panchayat in whose jurisdiction his ordinary residence is situated, to the effect that he is having facility of water closet or privy accommodation at the place of his ordinary residence.

(m) is disqualified under any other provision of this Regulation, and the period for which he was so disqualified has not elapsed;

(n) has more than two children:

Provided that a person having more than two children on the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Order, 2020 shall not be disqualified under this clause so long as the number of children he had on the date of such commencement does not increase:

Provided further that a child or more than one child born in a single delivery within the period of one year from the date of such commencement shall not be taken into consideration for the purpose of disqualification under this clause.

(o) is without permission of the Gram Panchayat, absent from three consecutive meetings; or

(p) has been ordered to give security for good behaviour under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973. 2 of 1974.

(q) has been dismissed from the service of the Government or Municipality or Gram Panchayat for misconduct within five years prior to the date of poll; or

(r) has not attained age of twenty-one years; or

(s) is not a citizen of India.

Explanation 1.–For the purposes of clause (n)–

(i) where a couple has only one child on or after the date of such commencement, any number of children born out of single subsequent delivery shall be deemed to be one entity;

(ii) 'child' does not include an adopted child or children.

Explanation 2.– A person shall not be disqualified under clause (g) for membership of a panchayat by reason only of such person—

(a) having share in any joint stock company or a share or interest in any society registered under any law for the time being in force which shall contract with or be employed by or on behalf of any panchayat; or

(b) having a share or interest in any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of any panchayat may be inserted; or

(c) holding a debenture or being otherwise concerned in any loan raised by or on behalf of any panchayat; or

(d) being professionally engaged on behalf of any panchayat as a legal practitioner; or

(e) having any share or interest in any lease of immovable property in which the amount of rent has been approved by the gram panchayat in the case of a village panchayat, or by the District Panchayat in its own case or in any sale or purchase of immovable property or in any agreement for such lease, sale or purchase; or

(f) having a share or interest in the occasional sale to the panchayat of any article in which he regularly trades or in the purchase from the panchayat of any article, to a value in either case not exceeding in any year one thousand rupees; or

(g) merely being a relative of a person in employment with or under or by or on behalf of the panchayat.

Explanation 3.– For the purpose of clause (i) —

(i) a person shall not be deemed to be disqualified if he has paid the arrears or the sum referred to in clause (i), prior to the day prescribed for the nomination of candidates;

(ii) failure to pay the arrears or the sum referred to in clause (i) to the panchayat by a member of an undivided Hindu family or by a person belonging to a group or unit, the members of which are by custom joint in estate or residence, shall be deemed to disqualify all members of such undivided Hindu family or as the case may be, all the members of such group or unit.

(2) A person shall be disqualified for being a member of the Gram Panchayat if he is so disqualified under the Fifth Schedule.".

3. New section 15A.– After section 15 insert–

Leave of absence. **"15A. (1)** Any member of a gram panchayat who during his term of office-

(a) is absent for more than three consecutive months from the village and leave not exceeding four months so to absent has been granted by the Panchayat; or

(b) absents himself for four consecutive months from the meetings of the panchayat without the leave of the said Panchayat,

shall cease to be a member and his office shall be vacant and thereupon the Panchayat shall, as soon as possible, inform him that the vacancy has occurred.

(2) Any dispute as to whether a vacancy has or has not occurred under this section shall be referred to the Secretary Panchayat for decision, and the decision of the Secretary Panchayat shall be final:

Provided that such reference shall not be entertained, if it is made after the expiry of fifteen days from the date on which the Panchayat informs under sub-section (1) to the member in regard to such vacancy.

(3) Whenever, a leave is granted under sub-section (1) to a member, who is an Upa-Sarpanch, another member shall, subject to the conditions to which the election of the Upa-Sarpanch so absenting himself was subjected to, be elected to perform all the duties and exercise all the powers of an Upa-Sarpanch during the period for which such leave is granted.".

4. Section 16.– Renumber the existing section 16 as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1), as so renumbered insert–

"(2) It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient, to extend the time for the completion of any election by making necessary amendments in the notification issued under sub-section (1).

(3) Where in respect of a panchayat which is to be reconstituted on account of the expiry of its duration, the Administrator is satisfied that, it is not possible to hold elections before the expiry of duration for reconstituting the panchayat, on account of any natural calamity, riots, communal disturbances, force-majeure then, notwithstanding anything contained in this Regulation or rules made there under, the Administrator may by notification in the Official Gazette, make a declaration to that effect.

(4) On the issue of the notification under sub-section (3), all the powers and duties of the panchayat shall be exercised and performed for the period, during which the notification remains in force by such officer as the Administrator may by order in writing specify.".

5. Section 19.– For sub-section (2) substitute–

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the members of the Gram Panchayat functioning immediately before coming into force of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Order, 2020 shall continue to hold their Office till the expiration of the term specified under sub-section (1) of section 19 of the Dadra and Nagar Haveli Panchayat Regulation, 2012 and sub-section (1) of section 19 of the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012.

6. New section 22A.– After section 22 insert–

Suspension of Sarpanch or Upa-Sarpanch or any Members of Gram Panchayat.

"22A. (1) The Chief Executive Officer may by order suspend from the office a Sarpanch or an Upa-Sarpanch or any member of a gram panchayat against whom any criminal proceedings in respect of an offence involving moral turpitude have been instituted or who has been detained in a prison during trial for any offence or who is undergoing such sentence of imprisonment as would not disqualify him from continuing as a member of the panchayat under section 14 or who has been detained under any law relating to preventive detention for the time being in force.

(2) Where any Sarpanch or Upa-Sarpanch or member, has been suspended under sub-section (1), another member of the village panchayat shall, subject to the conditions to which the election of the Sarpanch or Upa-Sarpanch or member, so suspended was subjected to, be elected to perform all the duties and exercise all the powers of a Sarpanch or Upa-Sarpanch or member, during the period for which such suspension continues.

(3) An appeal against an order passed under sub-section (1) shall lie before the Administrator or any officer authorised by him within a period of thirty days from the date of the order.".

7. Section 23.– For section 23 substitute–

Removal from Office.

"23. (1) The Secretary Panchayat may by order remove from office any member of the panchayat, the Sarpanch or, as the case may be, the Upa-Sarpanch thereof, after giving him an opportunity of being heard and giving due notice in that behalf and after such inquiry as it deems necessary, if such member, Sarpanch or, as the case may be, Upa-Sarpanch has been guilty of misconduct in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct or abuses his powers or makes persistent default in the performance of his duties and functions under this Regulation or has become incapable of performing his duties and functions under this Regulation. The Sarpanch or, as the case may be, the Upa-Sarpanch, so removed may at the discretion of the Secretary Panchayat also be removed from the membership of the panchayat.

(2) The Secretary Panchayat may, after following the procedure laid down in sub-section (1) by order disqualify for a period not exceeding five years any person who has resigned his office as a member, Sarpanch or Upa-Sarpanch, or otherwise ceased to hold any such office and has been guilty of misconduct specified in sub-section (1) or has been incapable of performing his duties and functions:

Provided that an action under this sub-section shall be taken within six months from the date on which the person resigns or ceases to hold any such office.

(3) Any person aggrieved by an order of the Secretary Panchayat under sub- section (1) or sub-section (2) may, within a period of thirty days from the date of the communication of such order, appeal to the Administrator or any officer authorised by him in this behalf against the said order.".

8. New section 34A.– After section 34 insert–

Modification of powers, functions, etc. from Gram Panchayat.

"34A. Notwithstanding the transfer of any powers, functions and duties in respect of any matter to a gram panchayat, where the Administrator is satisfied that by reason of a change in the nature, the matter has ceased to be a matter in the Second Schedule and that it is necessary to withdraw from the gram panchayat the powers, function or duties in respect of such matter, by notification in the Official Gazette, withdraw such powers, functions and duties with effect from the date specified in the notification and make such incidental and consequential orders as may be necessary to provide for matters including the taking over of the property, rights and liabilities, if any, vesting in the panchayat and of the staff, if any, which may have been transferred to the panchayat.".

9. Section 51.– For section 51 substitute–

Dissolution or supersession of panchayat for default.

"51. (1) If, in the opinion of the Administrator, a gram panchayat exceeds or abuses its powers or is incompetent to perform or makes persistent default in the performance of the duties imposed on it or functions entrusted to it under any provision of this Regulation or by or under any other law for the time being in force, or fails to obey an order made under this Regulation by the gram panchayat superior there to or by the Administrator or any officer authorised by it, under this Regulation or persistently disobeys any of such orders, the Administrator may, after giving the gram panchayat an opportunity of rendering an explanation, by order in the Official Gazette-

(i) dissolve such gram panchayat, or

(ii) supersede such gram panchayat for the period specified in the order:

Provided that such period shall not be longer than six months or the residual period of duration of such gram panchayat whichever is less:

Provided further that the Administrator may subject to, the preceding proviso from time to time after making such inquiry as it may consider necessary by an order published in the Official Gazette, extend the period of supersession of such gram panchayat until such date as may be specified in the order or by like order curtail the period of supersession.

(2) When a gram panchayat is dissolved or superseded, all members of the gram panchayat shall from the date specified in the order, vacate their office as such members.

(3) When the gram panchayat is dissolved or superseded, it shall be reconstituted, in the manner provided in this Regulation.

(4) If a gram panchayat is dissolved or superseded—

(a) all the powers and duties of the gram panchayat shall during the period of dissolution or supersession, as the case may be, exercised and performed by such person or persons as the Administrator may from time to time appoint in that behalf, and

(b) all property vested in the gram panchayat shall during the period of dissolution or supersession, as the case may be, vest in the Administrator; and

(c) on the dissolution, or, as the case may be, on the expiry of the period of supersession, the gram panchayat shall be reconstituted in the manner provided in this Regulation, and the persons vacating office shall be eligible for re-election.".

10. Section 58.– For section 58 substitute–

Disqualification.

"58. (1) No person shall be a member of a District Panchayat or continue as such who-

(a) has, whether before or after the commencement of this Regulation, been convicted-

(i) of an offence under the Protection of Civil Rights Act, 1955 and a period of five years, or such lesser period as the Administrator may allow in any particular case, has elapsed since his conviction; or 22 of 1955.

(ii) of any other offence and been sentenced to imprisonment for not less than six months, and a period of five years, or such lesser period as the Administrator may allow in any particular case, has elapsed since his release; or

(b) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind; or

(c) has been adjudicated an insolvent and has not obtained his discharge; or

(d) has been removed from any office held by him in any District Panchayat under any provision of this Regulation or in any District Panchayat before the commencement of this Regulation and a period of five years has not elapsed from the date of such removal, unless he has, by an order of the Administrator notified in the Official Gazette, been relieved from the disqualification on account of such removal from office; or

(e) has been disqualified from holding office under any provision of this Regulation and the period for which he was so disqualified has not elapsed; or

(f) holds any salaried office or place of profit in the gift or disposal of any panchayat, other than as such office or place as prescribed under this Regulation; or

(g) has, directly or indirectly, any share or interest in any work done by order of the panchayat, or in any contract with, by or on behalf of, or employment with or under the panchayat; or

(h) has, directly or indirectly, any share or interest in any transaction of loan of money advanced to or borrowed from any officer or servant of any panchayat; or

(i) fails to pay any arrears of any kind due by him to the panchayat or any panchayat subordinate thereto or any sum recoverable from him under this Regulation, within three months after a special notice in accordance with the rules made in this behalf has been served upon him; or

(j) is a servant of the Government or any local authority; or

(k) has voluntarily acquired the citizenship of a Foreign State or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a Foreign State; or

(l) has no facility of water closet or privy accommodation at the place of his ordinary residence:

Provided that a sitting member shall be deemed to have incurred disqualification if he does not submit to the Chief Executive Officer, within six months from the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Order, 2020**,** a certificate issued by the Panchayat Secretary of the Gram Panchayat in whose jurisdiction his ordinary residence is situated, to the effect that he is having facility of water closet or privy accommodation at the place of his ordinary residence;

(m) is disqualified under any other provision of this Regulation, and the period for which he was so disqualified has not elapsed;

(n) has more than two children:

Provided that a person having more than two children on the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Order, 2020 shall not be disqualified under this clause so long as the number of children he had on the date of such commencement does not increase:

Provided further that a child or more than one child born in a single delivery within the period of one year from the date of such commencement shall not be taken into consideration for the purpose of disqualification under this clause;

(o) is without permission of the Gram Panchayat, absent from three consecutive meetings; or

(p) has been ordered to give security for good behavior under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973. 2 of 1974.

(q) has been dismissed from the service of the Government or Municipality or Gram Panchayat for misconduct within five years prior to the date of poll; or

(r) has not attained age of twenty-one years; or

(s) is not a citizen of India.

Explanation 1. -For the purposes of clause (n),-

(i) where a couple has only one child on or after the date of such commencement, any number of children born out of single subsequent delivery shall be deemed to be one entity;

(ii) 'child' does not include an adopted child or children.

Explanation 2.- A person shall not be disqualified under clause (g) for membership of a panchayat by reason only of such person—

(a) having share in any joint stock company or a share or interest in any society registered under any law for the time being in force which shall contract with or be employed by or on behalf of any panchayat; or

(b) having a share or interest in any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of any panchayat may be inserted; or

(c) holding a debenture or being otherwise concerned in any loan raised by or on behalf of any panchayat; or

(d) being professionally engaged on behalf of any panchayat as a legal practitioner; or

(e) having any share or interest in any lease of immovable property in which the amount of rent has been approved by the District Panchayat in the case of a village panchayat, or by the District Panchayat in its own case or in any sale or purchase of immovable property or in any agreement for such lease, sale or purchase; or

(f) having a share or interest in the occasional sale to the panchayat of any article in which he regularly trades or in the purchase from the panchayat of any article, to a value in either case not exceeding in any year one thousand rupees; or

(g) merely being a relative of a person in employment with or under or by or on behalf of the panchayat.

Explanation 3.-For the purpose of clause (i) —

(i) a person shall not be deemed to be disqualified if he has paid the arrears or the sum referred to in clause (i) of this sub-section, prior to the day prescribed for the nomination of candidates;

(ii) failure to pay the arrears or the sum referred to in clause (i) of this sub-section to the panchayat by a member of an undivided Hindu family or by a person belonging to a group or unit, the members of which are by custom joint in estate or residence, shall be deemed to disqualify all members of such undivided Hindu family or as the case may be, all the members of such group or unit.

(2) A person shall be disqualified for being a member of the District Panchayat if he is so disqualified under the Fifth Schedule.".

11. New sections 59A and 59B .– After section 59 insert–

Election.

"59A. (1) The election of members of a District Panchayat shall be held in such a manner (including the manner of voting) as may be prescribed and on such date or dates as the Administrator may, in consultation with the Election Commission, by notification direct:

Provided that a casual vacancy shall be filled-up within a period of six months from the date of occurrence of such vacancy:

Provided further that no election shall be held to fill a casual vacancy occurring within six months prior to the general election of a District Panchayat under this Section.

(2) It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient, to extend the time for the completion of any election by making necessary amendments in the notification issued under sub-section (1).

(3) Where in respect of a panchayat which is to be reconstituted on account of the expiry of its duration, the Administrator is satisfied that, it is not possible to hold elections before the expiry of duration for reconstituting the panchayat, on account of any natural calamity, riots, communal disturbances, force-majeure, then, notwithstanding anything contained in this Regulation or rules made there under, the Administrator may by notification in the *Official Gazette,* make a declaration to that effect.

(4) On the issue of the notification under sub-section (3), all the powers and duties of the panchayat shall be exercised and performed for the period, during which the notification remains in force by such officer as the Administrator may by order in writing specify.

Leave of absence.

59B. (1) Any member of a District Panchayat who during his term of office-

(a) is absent for more than three consecutive months from the district and a leave not exceeding four months so to absent himself has been granted by the panchayat; or

(b) absents himself for four consecutive months from the meetings of the panchayat without the leave of the said panchayat,

shall cease to be a member and his office shall be vacant and there upon the panchayat shall as soon as may be inform him that the vacancy has occurred.

(2) Any dispute, as to whether a vacancy has or has not occurred under this section, shall be referred to the Secretary Panchayat for decision, and the decision of the Secretary Panchayat shall be final:

Provided that such reference shall not be entertained, if it is made after the expiry of fifteen days from the date on which the Panchayat informs under sub-section (1) to the member in regard to such vacancy.

(3) Whenever a leave is granted under sub-section (1) to a member who is a Vice-President, another member shall, subject to the conditions to which the election of the Vice-President so absenting himself was subjected to, be elected to perform all the duties and exercise all the powers of a Vice-President during the period for which such leave is granted.".

13. Section 61.– In sub-section (5)–

(i) after the word "President", insert "and Vice President" ;

(ii) for "Scheduled Castes and the Scheduled Tribes" substitute "Scheduled Castes or Scheduled Tribes";

(iii) in the proviso, after "President" insert "and Vice President";

(iii) after sub-section (5) insert–

"(6) The term of the office of the President and Vice President, unless the District Panchayat is sooner dissolved under any law for the time being in force, shall be maximum of two years and six months from the date they are appointed for its first meeting and no longer.".

14. Section 62.– For section 62 substitute -

Meetings.

"62. The President shall-

(i) convene, preside at and conduct meetings of the District Panchayat;

(ii) have access to the records of the Panchayat;

(iii) discharge all duties imposed, and exercise all the powers conferred on him by or under this Regulation;

(iv) watch over the financial and executive administration of the Panchayat and submit to the Panchayat all questions connected therewith which shall appear to him to require its orders; and

(v) Exercise administrative supervision over the Chief Executive Officer for securing implementation of resolution or decisions of the Panchayat or of any Committee thereof.".

15. New section 66A.– After section 66 insert–

Suspension of President or Vice-President or any member of District Panchayat.

"66A. (1) The Secretary Panchayat may by order suspend from office President or Vice-President or any member of District Panchayat against whom any criminal proceedings in respect of an offence involving moral turpitude have been instituted or who has been detained in a prison during trial for any offence or who is undergoing such sentence of imprisonment as would not disqualify him from continuing as a member of the panchayat under section 58, or who has been detained under any law relating to preventive detention for the time being in force.

(2) Where President or Vice-President or any member of District Panchayat has been suspended under sub-section (1), another member shall, subject to the condition to which the election of the President, Vice-President or, as the case may be, any member of District Panchayat suspended, was subject be elected to perform all the duties and exercise all the powers of a President or a Vice President or a member of District Panchayat, as the case may be, during the period for which such suspension continues.

(3) An appeal against an order passed under sub-section (1) shall lie before the Administrator or any officer authorised by him in this behalf within a period of thirty days from the date of the order.".

16. New section 67A .– After section 67 insert–

Removal from Office.

"67 A. (1) The Secretary Panchayat may by order remove from office any member of the District Panchayat, the President or Vice-President thereof, after giving him an opportunity of being heard and due notice in that behalf and after such inquiry as it deems necessary, if such member, President or Vice-President has been guilty of misconduct in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct or abuses his powers or makes persistent default in the performance of his duties and functions under this Regulation or has become incapable of performing his duties and functions under this Regulation and the President or as the case may be the Vice-President, so removed may at the discretion of the Secretary Panchayat also be removed from the membership of the panchayat.

(2) The Secretary Panchayat may, after following the procedure laid down in sub-section (1) by order disqualify for a period not exceeding five years any person who has resigned from his office of member, President or Vice-President or otherwise ceases to hold any such office and has been guilty of misconduct specified in sub-section (1) or has been incapable of performing his duties:

Provided that such action shall be taken within six months from the date on which the person resigns or ceases to hold any such office.

(3) Any person aggrieved by an order of the Secretary Panchayat under sub- section (1) or sub-section (2) may, within a period of thirty days from the date of the communication of such order, appeal to the Administrator or any officer authorised by him in this behalf against the said order.".

17. Section 70.– For section 70 substitute–

Functions of Chief Executive Officer and other Officers.

"70. (1) Save as otherwise expressly provided by or under this Regulation, the executive powers of a District Panchayat for the purpose of carrying out the provisions of this Regulation, shall vest in the Chief Executive Officer and he shall -

(a) perform all the functions and exercise all the powers specifically imposed or conferred upon him by or under this Regulation, or under any law for the time being in force; and

(b) lay down the duties of all officers and servants of the District Panchayat.

(2) Subject to the provisions of this Regulation and the rules made thereunder the Chief Executive Officer shall-

(a) be entitled to –

(i) attend the meetings of the District Panchayat, or any of its committee;

(ii) call for any information, return statement, account or report from any officer or servant of or holding office under, the District Panchayat;

(iii) grant leave of absence to such class of officers as may be prescribed by rules;

(iv) call for an explanation from any officer or servant of or holding office under the District Panchayat;

(b) subject to the control, of the District Panchayat, discharge duties and perform function, in respect of matters which by or under this Regulation are not expressly imposed or conferred on any committee, presiding officer or any officer of the District Panchayat;

(c) appoint such class of officers and servants as may be prescribed;

(d) supervise and control, engagement of all casual labours, daily wage workers and contractual employment of the District Panchayat;

(e) supervise and control, the execution of all activities of the District Panchayat;

(f) take necessary measures for the speedy execution of all works and development schemes of the District Panchayat;

(g) have custody of all papers and documents connected with the District Panchayat;

(h) assess and give his opinion confidentially every year on the work of the officers holding office under the District Panchayat; forward them to such authorities as may be prescribed by the UT Administration and lay down the procedure for writing such reports about the work of officers and servants under the District Panchayat;

(i) draw and disburse money out of the fund;

(j) exercise supervision and control over the acts of officers and servants holding office under the District Panchayat in matters of executive administration and those relating to accounts and records of the District Panchayat; and

(k) exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Union territory Administration.

(3) the Chief Executive Officer may subject to such conditions as he may think fit to impose, delegate any of his power and functions to any officer or servant holding office under the District Panchayat, provided such officer or servant is not below such rank as may be prescribed.

(4) Subject to the other provisions of this Regulation, the Chief Executive Officer shall be under the general control of the District Panchayat.".

18. Section 73.– In section 73–

(i) in sub-section (1), for clauses (a), (b), (c), (e), (f) and (g) substitute –

"(a) Executive Committee, (b) Public Health Committee, (c) Public Works Committee, (e) Committee for production, co-operation and irrigation, (f) Social Justice Committee (g) Committee for Women, Child Development and Youth activity.".

(ii) after sub-section (2) insert–

(2A) In addition to the committees referred to in sub-section (1), a District Panchayat may with the prior approval of the Administrator constitute a committee or committees to execute any work or scheme decided upon by the District Panchayat or to inquire into and report to the District Panchayat on matters which the panchayat may refer to such committee or committees and the District Panchayat may make regulations for the procedure to be followed by any such committee.".

19. Section 97.– For section 97 substitute–

Dissolution or supersession of panchayats for default.

(1) If, in the opinion of the Administrator, a District Panchayat exceeds or abuses its powers or is incompetent to perform or makes persistent default in the performance of the duties imposed on it or functions entrusted to it under any provision of this Regulation or by or under any other law for the time being in force, or fails to obey an order made under this Regulation by the District Panchayat superior there to or by the Administrator or any officer authorised by it, under this Regulation or persistently disobeys any of such orders, the Administrator may, after giving the District Panchayat an opportunity of rendering an explanation, by order in the Official Gazette-

(i) dissolve such District Panchayat, or

(ii) supersede such District Panchayat for the period specified in the order:

Provided that such period shall not be longer than six months or the residual period of duration of such District Panchayat whichever is less:

Provided further that the Administrator may subject to, the preceding proviso from time to time after making such inquiry as it may consider necessary by an order published in the Official Gazette, extend the period of supersession of such District Panchayat until such date as may be specified in the order or by like order curtail the period of supersession.

(2) When a District Panchayat is dissolved or superseded, all members of the District Panchayat shall from the date specified in the order, vacate their office as such members.

(3) When the District Panchayat is dissolved or superseded, it shall be reconstituted, in the manner provided in this Regulation.

(4) If a District Panchayat is dissolved or superseded—

(a) all the powers and duties of the District Panchayat shall during the period of dissolution or supersession, as the case may be, exercised and performed by such person or persons as the Administrator may from time to time appoint in that behalf, and

(b) all property vested in the District Panchayat shall during the period of dissolution or supersession, as the case may be, vest in the Administrator; and

(c) on the dissolution, or, as the case may be, on the expiry of the period of supersession, the District Panchayat shall be reconstituted in the manner provided in this Regulation, and the persons vacating office shall be eligible for re-election.".

20. New section 98A.– After section 98 insert–

Modification of powers, functions etc. of District Panchayat.

"98A. Notwithstanding the transfer of any powers, functions and duties in respect of any matter to a District Panchayat, where the Administrator is satisfied that by reason of a change in the nature of the matter, the matter has ceased to be a matter in the Third Schedule and that it is necessary to withdraw from the District Panchayat the powers, function or duties in respect of such matter, by notification in the Official Gazette, withdraw such powers, functions and duties with effect from the date specified in the notification and make such incidental and consequential orders as may be necessary to provide for matters including the taking over of the property, rights and liabilities, if any, vesting in the panchayat and of the staff, if any, which may have been transferred to the panchayat.".

21. Section 111.– In clause (c), after "2012" insert "and the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012.".

22. New section 120A.– After section 120 insert–

Previous sanction for prosecution against Sarpanch, Upa-Sarpanch, President, Vice-President or Chairman, of Committee.

"120A. No court shall take cognizance of offence except with the previous sanction of the Administrator or any officer authorised by the Administrator in this behalf, where any person who is or has been a Sarpanch, Upa-Sarpanch, President, Vice-President of a panchayat or a Chairman of a Committee constituted under this Regulation is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty.".

23. Section 121.– In sub-section (2) –

(a) in clause (zd) –

(i) after "President" insert "and Vice President";

(ii) for "Scheduled Castes and the Scheduled Tribes" substitute "Scheduled Castes or Scheduled Tribes";

(b) in clause (zg), for "clause (e) of sub-section 1" substitute "sub-clause (iii) of clause (a), clauses (c), (g) and (j) of sub-section 2".

24. Fifth Schedule.–In clause (1)–

(i) for sub-clause (a) substitute–

"(a) Panchayat" means a District Panchayat constituted under this Regulation;" ;

(ii) omit sub-clause (b).

[F. No. 11025/3/2020-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.10.08 22:47:20 +05'30'